

मालाजी

01/02/16. प्रमाणित लोक अदालत के सदस्य
मनोहरथाना में ये कार्यवाही करनी उपर्युक्त
काफी लंबे अवधि तक लेना चाहिए
किन्तु कि आपके व प्रतिवादी के
आपसी पारिस्परिक सहमति से ही कार्य
शुद्धि 20 वास से कार्य करवाया
होना चाहते हैं

अतः वादी को अनुसंधान पर वास
की कार्यवाही द्वारा ही करनी है
असावधानी के कारण प्रमाण लेना वास
तार्किक तर्कपूर्ण दायित्व दायता से
करना ही कार्य है

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना